न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: डॉ.सूरज सिंह नेगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 119/2016

प्रविष्टि दिनांक – 8.7.2016

उनवान

1. कैलाश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
2. रामप्यारी पुत्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
3. प्रहलाद पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. पन्नालाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लादू पुत्र नेहनू जाति जाट, ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
2. भागचन्द पुत्र नेहनू जाति जाट, ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
3. रामधन पुत्र नेहनू जाति जाट, ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
4. राजूदयाल पुत्र लादू जाति जाट, ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
5. धर्मराज पुत्र लादू जाति जाट, ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
6. रतनी पत्नी लादू जाति जाट, ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
7. संतरा पत्नी भागचन्द जाति जाट, ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक
8. जगदीशी पत्नी रामधन जाति जाट, ग्राम वजीरपुरा, तहसील व जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री सीताराम विजय–, वकील प्रार्थीगण
श्री राजेन्द्र जाट–अभिभाषक अप्रार्थीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली तथा करने पत्थरगढी प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक–17.10.2016

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ख.न. 188 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक मे स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज कई वर्षो से शांति पूर्वक काश्त करते चे आ रहे है। खसरा नंबर 188 के दक्षिणी मेढ के अडवा अप्रार्थीगण के खेत है। अप्रार्थीगण के खेत ख.न. 189 मे पत्थगढी दिनांक 21.6.2016 को प्रार्थीगण के बिना सूचित किए प्रार्थीगण की गैर मोजूदगी पर प्रार्थीगण की खडी फसल पर करवाकर प्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी भाग पर 15 फिट घुसकर पटिटया गाढकर उस पर तारो की बाड लगा दी है तथा प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की भूमि पर कब्जा करने पर अमादा है तथा पुख्ता निर्माण करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की कदीमी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि पर जबरन नींव खोदकर पुख्ता निर्माण नही करे, जबरन 15 फिट भूमि से बेदखल नही करे ना करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी भाग पर 15 फिट घुंसकर पाईप गाडकर उस पर तारो की बाड नही लगाई है तथा किसी प्रकार का कोई कब्जा नही करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक मे पेश किया जिसके अनुसार तहसीलदार टोंक द्वारा मौके पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर

Scanned by CamScanner

पत्थगढी की कार्यवाही की गई है। तहसीलदार , नायब तहसीलदार भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी की संयुक्त टीम द्वारा ख.न. 189 , 217 का सीमाज्ञान कर, पत्थगढी की गई जिसमे प्रार्थी कैलाश उपस्थित था। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि मे कोई पटिटया नही गाडी है तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया है। अप्रार्थीगण अपने ख.न. 189 पर शांति पूर्वक काबिज है। बल्कि प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 189 के उपयोग उपभोग मे दखलअन्दाजी नही करे मजाहमत नही करे, तथा उपयोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–2073, मौका पर्चा, दिनांक 21.6.2016, नजरी नक्शा, पत्थरगढी आदेश आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता पक्षकारो ने बहस के दौरान अपने–अपने तथ्यों को दोहराया।

हमने प्रार्थना पत्र, साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हक अधिकार संबंधी तथ्यो साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो से साबित है कि विवादित भूमि मे प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा ख.न. 189 के अप्रार्थीगण खातेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा पत्थगढी के अनुसार अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगडी करवाई है जिसमे प्रतिपक्षी सं0 1 भी उपस्थित था। चूंकि पक्षकार प्रथक प्रथक भूमि के खातेदार है और उनका एक दूसरे की भूमि से कोई संबंध नही है। प्रार्थनापत्र मे विवादित भूमि ख.न. 188 से प्रतिपक्षीगण का कोई संबंध नही है। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। लेकिन भविष्य मे ओर विवाद नही हो, इसलिए दोनो ही पक्षो को अपने अपने अपने खाते की भूमि की हद तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः यह न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर, दोनो पक्षो को अपनी अपनी हद तक पाबन्द करना उचित समझता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आ0ख.न. 188 रकबा 15 बिस्वा, वाके ग्राम वजीरपुरा, तहसील टोंक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे अपनी अपनी खातेदारी की भूमि की हद तक पाबन्द, एक दूसरे भूमि मे किसी भी प्रकार से मजाहमत नही करे। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाात है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि से जबरन घुसकर, प्रार्थीगण को बदेखल नही करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner